FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

केसाराम बनाम शैम्भूराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा०काश्त० 111,128 RCRAct नं. 101/20 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/06/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री किशनाराम ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/07/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण संख्या-1 से 6 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18/08/20 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested

न्या...
क्रमांक / आवेदन / 20...
राजस्व आवेदन संख्या
प्रार्थीगण

18/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुप०, श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए है अतः मिसल इन्तजार पेशी दिनांक 24/08/2020 को पेश हो।

24/08/2020 प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण एकपक्षीय अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत लगते हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतो के मध्य सेढो पर जो पत्थर गाडे व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में अधियों की वजह से बिखर गये है जिस कारण प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है जिससे प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की पत्थर नियमनबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नियमनबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नियमनबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नियमनबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बामनवास को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पत्थर नियमनबन्दी मौके पर कमिश्नर मुलक जमा कराकर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, [illegible] हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested

...क कलक्टर

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 513 दिनांकः– 24-08-2020

राजस्व आवेदन संख्या –101 / 2020

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री केसाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर		श्री शेंभूराम पुत्र केसाराम वगैरा 6, निवासी–कोसरिया, तहसील–बायतु जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा लापला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 566 रकबा 6.5691 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांकः– 24-08-2020

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 514 to 518

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री केसाराम पुत्र मोटाराम ।
4. विप्रार्थीगण श्री शेंभूराम पुत्र केसाराम वगैरा 6।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

सहायक कलक्टर (SDO)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.19 16:47:35 IST
Reason: SelfAttested